न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :— 178/2015
CIS No. :— TS/382/2018

अशोक कुमार एवं अन्य बनाम् **अखिलेश प्रसाद उर्फ प्रभुनाथ प्रसाद एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
10.12.2021	अभिलेख पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। पक्षकार के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र दिनांक—22.02.2021 पर सुना गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 22.02.2021 प्रतिवादीगण की ओर से सूची के साथ दाखिल प्रपत्रों को स्वीकार व अभिलेखावलित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा अपनी आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रलेख विलम्ब से प्रस्तुत किये गये हैं। सुना एंव अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रतिवादीगण द्वारा सूची के साथ दाखिल प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल प्रश्नगत प्रलेख वाद के निस्तारण में सहायक हो सकते हैं। विलम्ब की क्षतिपूर्ति हर्जे द्वारा की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र दिनांक 22.02.2021 मु० 300/— रू० हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा दाखिल प्रपत्रों को अभिलेखावलित किया जाता है। अभिलेख वास्ते प्रतिवादीगण साक्ष्य हेतु दिनांक—06.01.2022 को पेश हो। अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष—4 नरकटियागंज पश्चिम चम्पारण।	